समाहरणालय मधेपुरा

(कार्मिक प्रबंधन कोषांग)

–:आदेश :–

सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,बिहार, पटना के पत्रांक–82, दिनांक–16.01.2017 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड, आलमनगर प्रखंड, बिहारीगंज प्रखंड, उदाकिशुनगंज प्रखंड एवं कुमारखंड प्रखंड के निम्नांकित विवरणी के पंचायतों में वार्ड सदस्य/पंच का उप निर्वाचन दिनांक–28.02.2017 को 07:00 पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक कराया जाना है।

क्रं0	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	प्रा0नि0क्षे0(वार्ड) संख्या	जिस पद पर निर्वाचन होना है
1	मुरलीगंज	हरिपुरकला	3	पंच
2	कुमारखंड	परमानंदपुर	6	सदस्य
3		रानीपट्टी सुखासन	11	सदस्य
4		विशनपुर सुन्दर	11	पंच
5			14	पंच
6		पुरैनी	4	पंच
7		टेंगराहा सिकियाहा	8	पंच
8			9	पंच
9			10	पंच
10		सिंहपुर गढ़िया	9	पंच
11		मंगरवाड़ा	11	पंच
12		बैसाढ़	16	पंच
13	बिहारीगंज	गमैल	12	पंच
14	उदाकिशुनगंज	बुधमा	6	सदस्य
15		बुधमा	11	पंच
16		शाहजादपुर	4	पंच
17	आलमनगर	बसनबाड़ा	4	पंच
18			10	पंच
19		खुरहान	12	पंच
20		बड़गॉव	4	पंच
21		किशनपुर रतवारा	16	पंच

पंचायत उप निर्वाचन, 2017 के सफल संचालन एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु मुरलीगंज प्रखंड, आलमनगर प्रखंड, बिहारीगंज प्रखंड, उदाकिशुनगंज प्रखंड एवं कुमारखंड प्रखंड में सेक्टर दण्डाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी एवं सुरक्षित दण्डाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति संलग्न परिशिष्ट 'क','ख','ग','घ','ड.','च' के अनुसार की जाती है।

01. सेक्टर दण्डाधिकारी का दायित्वः–

➢ प्रतिनियुक्त सेक्टर दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी अपने आवंटित पंचायत से सम्बद्ध मतदान केन्द्र पर निर्वाचन की तिथि के एक दिन पूर्व पहुंचकर यह देख लेंगे कि मतदान

केन्द्र पर सभी आवश्यक व्यवस्था हो गई है। अगर किसी प्रकार की कमियाँ हो तो तुरंत निर्वाची पदाधिकारी को सूचित करेंगे। साथ ही साथ इसकी सूचना जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या- 06476-222015 तथा प्रखंड नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या जो संलग्न परिशिष्ट 'छ' में है पर देंगे। जिला नियंत्रण कक्ष के प्रभारी पदाधिकारी का भी दायित्व होगा कि वे इसकी सूचना तुरंत संबंधित निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी को देंगें। निर्वाची पदाधिकारी सूचना प्राप्त होने पर प्रतिवेदित कमियों का निराकरण तुरंत करना सुनिश्चित करेंगे।

- सेक्टर दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि वे मतदान की तिथि के एक दिन पूर्व अपने आवंटित पंचायत से सम्बद्ध मतदान केन्द्र पर मतदान पदाधिकारी, पुलिस बल एवं गश्ती दल सह मतपेटिका संग्रह दण्डाधिकारी के पहुंचने के सम्बन्ध में सूचना संग्रह कर सभी प्रकार से आश्वस्त होकर जिला नियत्रंण कक्ष के दुरभाष संख्या- 06476-222015 एवं संबंधित प्रखंड नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या जो परिशिष्ट 'छ' में है पर *OK Report* देंगे।
- मतदान के दिन वैसे सेक्टर दण्डाधिकारी जिन्हें एक से अधिक मतदान केन्द्र आवंटित है वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके आवंटित पंचायत से सम्बद्ध सभी मतदान केन्द्रों पर मतदान ससमय प्रारंम्भ हो जाय इसके लिए आवश्यकतानुसार पीठासीन पदाधिकारी को भ्रमणशील रहकर अपेक्षित सहयोग करेंगे। परन्तु वैसे सेक्टर दण्डाधिकारी जिन्हें एक ही मतदान केन्द्र आवंटित है वे स्टैटिक रहकर आवश्यकतानुसार पीठासीन पदाधिकारी को अपेक्षित सहयोग करेंगें। सभी सेक्टर दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की यह भी व्यक्तिगत जबावदेही होगी कि वे सुनिश्चित करेगें कि किसी भी परिस्थिति में मतदान कार्य बाधित न हों।
- सभी सेक्टर दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी टोला, विशेष कर भेद्य टोले / बस्तियों के मतदाताओं का टर्न आउट असमान्य रूप से कम तो नहीं है। यदि ऐसा पाया जाता है तो यह पता लगाएंगे कि किसी दबंग व्यक्ति या समुह द्वारा मतदाताओं को मतदान से रोका तो नहीं जा रहा है और पता चलने पर तुरंत दोषियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करेंगे ताकि वैसे भेद्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। सेक्टर दण्डाधिकारी इस आशय की सूचना प्राप्त होने पर तुरंत ऐसे मतदान केन्द्रों के भेद्य टोलों में जाकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगें।
- सभी प्रतिनियुक्त सेक्टर दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी जहाँ मतदान हो रहा है वहाँ वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करेंगे तथा जाँच करेंगे कि अभ्यर्थी द्वारा मतदाताओं को गाड़ियों के माध्यम से ढ़ोकर लाया तो नहीं जा रहा है।
- सभी सेक्टर दण्डाधिकारी अपने आवंटित मतदान केन्द्र से सम्बन्धित प्रत्येक दो-दो घंटे पर मतदान प्रतिशत जिला नियंत्रण कक्ष एवं प्रखंड स्तर पर कार्यरत नियंत्रण कक्ष को देना सुनिश्चित करेंगे।

- सेक्टर दण्डाधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अपने आवंटित पंचायत के मतदान केन्द्र को तब तक नहीं छोड़गें जबतक कि पोल्ड मतपेटिका गश्ती दल सह मतपेटिका संग्रह दण्डाधिकारी द्वारा मतदान समाप्ति के उपरांत बज्रगृह के लिए प्रस्थान नहीं कर गए हों। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

02. जोनल दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्तिः-

- सभी प्रतिनियुक्त जोनल दण्डाधिकारी का दायित्व होगा कि वे अपने आवंटित पंचायत से सम्बद्ध मतदान केन्द्र पर शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, मतदान कराना सुनिश्चित करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर सेक्टर दण्डाधिकारी, गश्तीदल दण्डाधिकारी सह मतपेटिका संग्रह दण्डाधिकारी को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेश के आलोक में आवश्यक दिशा निर्देश देंगे।
- वे जोन से सम्बद्ध सेक्टर दण्डाधिकारी से सूचना संकलित करेंगे कि सभी मतदान कर्मी, गश्ती दल दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल अपने-अपने आवंटित मतदान केन्द्र पर पहुंच गए है तथा मतदान के लिए सभी आवश्यक सामग्रियां मतदान दल को उपलब्ध हो गया है तथा सही समय पर मतदान कार्य प्रारंम्भ हो गया है। वे इसकी सूचना जिला नियंत्रण कक्ष के माध्यम से दुरभाष संख्या-06476-222015 पर देने के साथ-साथ जिला दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को देंगे।
- जोनल दण्डाधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि अगर मतदान केन्द्र पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की सूचना उन्हें मिलती है, तो वे तुरंत उस स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे तथा स्थल पर पहुंच विधि व्यवस्था का संधारण कराएंगे तथा जबतक स्थिति सामान्य न हो जाए तब तक वे वहां स्टैटिक रहेंगे इसकी सूचना जिला दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को भी देंगे।
- संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्र के प्रखंड में होने वाले पंचायत उप निर्वाचन में विधि व्यवस्था के भी संपूर्ण प्रभार में रहेगें।
- **03. सुरक्षित दण्डाधिकारी :-**

  सभी सुरक्षित दण्डाधिकारी दिनांक-28.02.2017 के सुबह 06 बजे आवंटित प्रखंड मुख्यालय में उपस्थित रहेगें जिसकी प्रतिनियुक्ति आवश्यकतानुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।
- **04. जिला नियंत्रण कक्ष :-**

  जिला नियंत्रण कक्ष जिला पंचायत शाखा, मधेपुरा में कार्यरत रहेगें। जिसकी दूरभाष संख्या-06476-222015 है। नियंत्रण कक्ष के प्रभारी पदाधिकारी के रूप में श्री नौसाद आलम खाँ,जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा की प्रतिनियुक्ति की जाती है। उनके सहयोगार्थ पंचायत शाखा के सहायक रहेगें। जिसकी प्रतिनियुक्ति जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा करेगें।